कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–वित्त / बजट) म.प्र. भोपाल

☎ PHONE NO./FAX NO. 0755-2674286, E-mail - apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक / नि.प्र. / एफ–75बी / 2019 / 4922 भोपाल, दिनांक 18/9/19

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) मध्य प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश।

विषयः–भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन 2015 के पालन के संबंध में।

संदर्भः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / आ.ले.प / 2019 / 4743 / भोपाल दिनांक 04.09.2019

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भण्डार क्रय के संबंध में भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के पालन के निर्देश जारी किए गए है।

1. इसी तारतम्य में लेख है कि महालेखाकार के इंस्पेक्शन आडिट रिपोर्ट एवं आंतरिक लेखा परीक्षण दलों द्वारा किए जाने वाले आंतरिक लेखा परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश वनमंडलों द्वारा सामग्रियों के क्रय में मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

आपके अधीनस्थ वनमंडल कार्यालयों द्वारा क्रय किये गये सामग्रियों / सेवा से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में प्रत्येक माह प्राप्त कर उसकी समीक्षा करें, तथा क्रय / सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन हुआ है अथवा नहीं यह देखे। उक्त नियमों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में उत्तरदायी लोक सेवक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

माह......................

क्र.	व्हाउचर न.व दि.	बिल न. व.दि.	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	लेखाशीर्ष जिससे क्रय किया गया	भण्डार क्रय नियम का पालन का विवरण।
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12

2. यदि भविष्य में अंकेक्षण / आंतरिक लेखा परीक्षण में भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन नहीं होना पाया जाता है तथा आपके स्तर से भी समुचित समीक्षा नहीं किया जाता है एवं यथोचित कार्यवाही प्रांरभ नहीं की जाती है, तो आपका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाकर शासन को अवगत कराया जावेगा।

17/9/19

(विभाष कुमार ठाकुर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / नि.प्र. / एफ–75बी / 2019 / 4923 भोपाल, दिनांक 18/9/19

प्रतिलिपिः–

1. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी मध्य प्रदेश वन विभाग उक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि जानकारी संबंधित मुख्य वन संरक्षक को प्रतिमाह प्रेषित करें। यथासमय जानकारी प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं लेखापाल के विरूद्ध अनुशासात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्यौगिकी) की ओर विभागीय वेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

3. संचालक (वित्त / बजट) / उप संचालक (वित्त / बजट) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

D/reenu saxena-2016 IBM 13-10-2016/IR/new letter